

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

क्रमांक: एफ.6(1)(1)पंचा/रानिआ/2014-15/ 5897

जयपुर, दिनांक: 7/8/15

आदेश

राज्य निर्वाचन आयोग अपने पूर्व आदेश क्रमांक एफ. 6(1)(1)पंचा/रानिआ/2014-15/4906 दिनांक 21.10.2014 में पंचायत एवं नगरपालिका की निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन होने के पश्चात् नामावली की मतदाताओं के बिना फोटो वाली सूचियों की सॉफ्ट कॉपी (सी.डी. में पी.डी.एफ. के रूप में) एवं हार्ड कॉपी (फोटो प्रति के रूप में) गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत राजनैतिक दल/एनजीओ/आमजन को उपलब्ध कराने हेतु दरें निर्धारित की गई थी।


आयोग द्वारा फोटो सहित मतदाताओं की निर्वाचक नामावली तैयार करवायी गई है जिसकी दरें निम्नानुसार निर्धारित की जाती है।

1. मतदाता सूची की हार्ड कॉपी (In Photo Copy) — रु. 2/- प्रति पृष्ठ एक तरफ (मतदाताओं की फोटो सहित)
2. मतदाता सूची की हार्ड कॉपी (In Photo Copy) — रु. 4/- प्रति पृष्ठ दोनों तरफ (मतदाताओं की फोटो सहित)

आवेदन करने पर आवेदक द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर मतदाता सूचियों की प्रति उपलब्ध करवायी जा सकती है।

ये दरें वित्त (व्यय-5) विभाग की आई.डी. सं. 331500557 दिनांक 5.8.2015 द्वारा दी गई सहमति के अनुसार है।

आज्ञा से,



(अशोक कुमार जैन)
सचिव

क्रमांक: एफ.6(1)(1)पंचा/रानिआ/2014/ 5898-5911

दिनांक: 7/8/15

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सहायक, आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज0, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राज0, जयपुर।
4. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
5. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. आयुक्त एवं सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राज0 जयपुर।
7. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका/पंचायत)।
9. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. निजी सचिव/निजी सहायक, सचिव/उपसचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राज., जयपुर।
12. समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी।
13. कम्प्यूटर शाखा को आयोग की वेबसाईट पर अपलोड करने तथा समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को ई-मेल करने हेतु।
14. समस्त शाखाएं, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।


(धारा सिंह मीणा)
सहायक सचिव